

विज्ञापन

नीति आयोग में संविदा आधार पर 1 (एक) वरिष्ठ परामर्शदाता/परामर्शदाता (स्वास्थ्य) का नियोजन करना चाहता है।

पदों और नियम व शर्तों के साथ - साथ नियोजन की अवधि, पात्रता, अनुभव आदि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

पद का नाम	वरिष्ठ परामर्शदाता/परामर्शदाता (स्वास्थ्य)
पदों की संख्या	1 (एक)
भर्ती का तरीका	अल्पकालिक संविदा
संविदा अवधि	1 वर्ष (बढ़ाया जा सकता है)
शैक्षिक अर्हता	अभ्यर्थी के पास चिकित्सा/जन स्वास्थ्य/अस्पताल प्रबंधन में डिग्री होना अनिवार्य है। स्नातकोत्तर/डॉक्टरल अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।
अनुभव	अभ्यर्थी को जन स्वास्थ्य/अस्पताल प्रबंधन/अकादमिक/अनुसंधान में न्यूनतम 08 वर्ष का अर्हता उपरांत अनुभव होना चाहिए
कार्य विवरण	स्वास्थ्य और पोषण प्रभाग को पोषण अभियान, आयुषमान भारत (राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन तथा स्वास्थ्य और कल्याण मिशन) संबंधी कार्यों में सहायता करना। स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार करना, अकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य और पोषण संबंधी कार्यवाही को प्रोत्साहन देना। एक आदर्श जन स्वास्थ्य और प्रबंधन संवर्ग विकसित करना। अन्य सतत नीतियों और समन्वय संबंधी जिम्मेदारियों के अतिरिक्त नर्सिंग शैक्षिक और व्यावसायिक प्रगति, औषधीय और चिकित्सीय उपकरणों संबंधी नीति में सुधार करना
पारिश्रमिक (प्रतिमाह)	परामर्शदाता दिशानिर्देश सं. ए-12013/02/2015-प्रशा. 1(बी), दिनांक 11.11.2016 के पैरा 6 के अनुरूप। दिशानिर्देश नीति आयोग की वेबसाइट www.niti.gov.in पर उपलब्ध हैं।

वरिष्ठ परामर्शदाता/ परामर्शदाता की सेवा संबंधी नियम और शर्तें परामर्शदाता दिशानिर्देश सं. ए-12013/02/2015-प्रशा.1(बी), दिनांक 11.11.2016 के अनुरूप होंगी। ये दिशानिर्देश नीति आयोग की वेबसाइट www.niti.gov.in पर उपलब्ध हैं।

नीति आयोग को संविदा को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार होगा। आवेदन की प्रस्तुति: आवेदन केवल ऑनलाइन भेजे जाने चाहिए। आवेदन केवल ऑनलाइन भेजे जाने चाहिए। पात्र अभ्यर्थी समाचारपत्र में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर नीति आयोग की वेबसाइट पर दिए लिंक से आवेदन करें।